

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND

P.S.(थाना): BILASPUR

Year(वर्ष): 2023

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005

Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):

28/07/2023 01:15 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Intervening Day

Date From(दिनांक से): 01/01/2016

Date To(दिनांक तक): 31/12/2020

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 12:00 AM

Time To (समय तक): 12:00 AM

(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date(दिनांक): 28/07/2023

Time (समय): 10:00 AM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 007

Time (समय): 28/07/2023 12:36 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 22 Km(s)

Beat No(बीट सं.):

(b) Address(पता): Ghumarwin

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S(थाना का नाम):

District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Ajit Singh

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 02/01/1968

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-Ayanwin, TEHSIL-Bhoranj, PS-BHORANJ, DISTRICT-HAMIRPUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, 177024, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-Vig. Bilaspur, PS:BILASPUR, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल) 91-9418457726

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Bishan Dutt Sharma	Father:Lalman Sharma	VILLAGE-Lader PO Kuthera ,TEHSIL-Ghumarwin,PS-GHUMARWIN,DISTRICT-	VILLAGE-Lader PO Kuthera ,TEHSIL-Ghumarwin,PS-GHUMARWIN,DISTRICT-

			BILASPUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	BILASPUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
--	--	--	--	--

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय दर्ज है कि शिकायत पत्र 20/2022 दिनांक 20-08-22 की अन्तिम जांच रिपोर्ट डाक के माध्यम से इस कार्यालय में अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुई है जो अन्तिम जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:- शिकायत पत्र 20/2022 दिनांक 20-08-22 में अज्ञात शिकायतकर्ताओं (सभी ठेकेदार जल शक्ति डिविजन घुमारवीं, जिला बिलासपुर) ने आरोप लगाया था विशन दत्त शर्मा, (एच.डी.एम.) जल शक्ति मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर रिश्तत लिये बिना कोई भी कार्य नहीं करता है विशन दत्त शर्मा रिश्तत के पैसे से आय से अधिक सम्पत्ति बना ली है। जिसकी जांच थाना के उप नि० अजीत सिंह द्वारा अमल में लाई गई है। दौरान जांच पाया गया है कि विशन दत्त शर्मा पुत्र श्री लालमन शर्मा निवासी गांव लढेर, डा० कुठेडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर वर्ष 1988, में जल शक्ति विभाग हि. प्र. में कनिष्ठ परोपकार के पद पर भर्ती हुआ था। विशन दत्त शर्मा वर्ष 2011-16 तक से मण्डल जल शक्ति विभाग घुमारवीं में तैनात रहा। वर्ष 2016 में यह मुख्य परोपकार पद पर पदोन्नत हुआ था। जांच के दौरान, सन्देशजनक कर्मचारी विशन दत्त शर्मा के अन्य नजदीकी रिस्तेदारों की सम्पत्ति बारे भी खुफिया तौर पर पताजोई की गई। इसके सगे भाई व अन्य नजदीकी रिस्तेदारों के पास उनकी हैसियत के अनुसार ही सम्पत्ति होना पाई गई है। इसके अतिरिक्त श्री विशन दत्त शर्मा के पास आय से अधिक सम्पत्ति वारा जांच अमल में लाई गई। श्री विशन दत्त शर्मा द्वारा बनाई गई सम्पत्ति की जांच हेतु Check Period दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2020 निश्चित किया गया क्योंकि इसी अवधि के बीच में यह परोपकार से पदोन्नत होने के उपरांत बतौर मुख्य परोपकार पद, कार्यालय मण्डल जल शक्ति विभाग सरकाघाट व घुमारवीं में कार्यरत रहा है और इसी दौरान इस द्वारा अपनी पत्नी पूजा शर्मा के नाम घुमारवीं बाजार में नई दो मंजिला मकान का निर्माण करना पाया गया है। D.A.जांच के दौरान सर्वप्रथम श्री विशन दत्त शर्मा से Form Statement I to VI भरवाकर लिये गये थे। जिसमें इसके परिवार के सदस्यों का विवरण कि वह क्या-2 काम करते हैं उनके बैंक अकाउंट, PLI अकाउंट, RD/Post Office के अकाउंट, LIC policies, जमीनों सम्बन्धी व्यौरा व इनके आय के स्रोत तथा इनके द्वारा बनाई गई सम्पत्ति का विवरण प्राप्त किया गया था। इसके बारे में कार्यालय तहसीलदार घुमारवीं, आयकर विभाग, राजस्व विभाग, Post offices, Gas Agency, विधुत विभाग, RTO office, RLA office, Educational Institutions व विभिन्न बैंकों से पत्राचार करके सम्बन्धित रिकार्ड/सूचना हासिल किया गया, जिसके आधार पर D.A.जांच में Statement A, Statement B, Statement C व Statement D तैयार की गई है। Statement A, B, C, D के अनुसार श्री विशन दत्त शर्मा के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के बारे में आंकलन किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है- Calculation of D.A (Check Period 01.01.2016 to 31.12.2020) Statement-A Assets at the beginning of the check period Rs. 1,16,43,765/-, Statement-B Assets at the end of Check Period Rs. 1,51,31,685/-, Statement-C Total income during the Check period Rs. 1,87,48,51/-, Statement- Total Expenditure during the Check Period Rs. 28,71,916/- Formula: - D.A. = (B-A) - (C-D) = (15131685- 11643765) - (1874851 -2871916) = 3487920 - (-997065)= Rs. 4484985% of D.A. = D.A X 100/C = 4484985 X 100/1874851= 239.21 % श्री विशन दत्त शर्मा व इसके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति का आंकलन मौजूद रिकार्ड के अनुसार Form Statements A, B, C व D भर कर किया गया। जांच पर इन के Disproportionate Assets = 239.21% पाये गये हैं। जांच के आधार पर विशन दत्त शर्मा द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना पाया गया है। जो विशन दत्त शर्मा पुत्र श्री लालमन शर्मा निवासी गाँव लढेर, डा० कुठेडा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर हाल तैनाती वृत मुख्य परोपकार, जल शक्ति विभाग, वृत सुन्दरनगर, जिला मण्डी के द्वारा जुर्म अधीन धारा 13(1)(b) read with धारा 13(2) of PC Act (As Amended) 2018 का बकूह में आना पाया जा रहा है। कार्यवाही पुलिस-शिकायत पत्र की अंतिम जांच रिपोर्ट को संक्षिप्त में लिखा गया है जो मजबूत जांच से मामला जुर्म अधीन धारा 13(1)(b) read with धारा 13(2) of PC Act(As Amended)2018 में पाया जाकर मुकदमा दर्ज रजिस्टर थाना किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की जरूरी प्रतियां CCTNS प्रिंटर में निकाली जाकर विशेष वाहक द्वारा उच्च अधिकारियों को व माननीय अदालत को अलग से भेजी जा

रही है मुकदमा विशेष नियत का है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष रिपोर्ट समझा जाए। मिसल मुकदमा आगामी अन्वेषण हेतु नि0 यशवंत सिंह I/O, थाना SV&ACB, Bilaspur को दी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Yashwant Singh

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S. (थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ajay Kumar Rana

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendent of

No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)